बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 131/3119 पटना, दिनांक 12.3.18

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 27 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 23–2852087960101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेंट्रल इन्स्टीच्यूटर ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर में बेरोजगार युवकों / युवतियों को विभिन्न ट्रेडो में 06 (छः) माह का आवासीय / गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु रू0 43,22,880 (तेतालीस लाख बाईस हजार आठ सौ अस्सी रूपयें) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों / युवतियों को विभिन्न ट्रेडो में 06 (छः) माह का आवासीय / गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु रू0 **43,22,880 (तेतालीस लाख बाईस हजार आठ सौ अस्सी रूपयें)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 23–2852087960101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद के अन्तर्गत विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 के स्वीकृत्यादेश सं0 952 दिनांक 08.03.18 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इस स्वीकृत्यादेश के सभी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाये तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :–

(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 तथा CTMIS प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 131/310/

पटना, दिनांक 12.3.18

प्रतिलिपि :– सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 131/310/

पटना, दिनांक 12.3.18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

12/3

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।